अपील सूचना अधिकार संख्या 131/2021(GCMS 2021/217)(आरटीआई नं. 212150106924782) श्री तरसेम लाल निवासी 76, वार्ड नं. 7 [illegible] 20 एलएम (लूनिया) तहसील अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 9[illegible]0–95467) <u>बनाम</u> तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>22.03.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी तरसेम लाल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने **लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़** से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 06.10.2021 से चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने वांछित सूचनाओं हेतु यह अपील लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, अनूपगढ के विरूद्ध यह अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी तरसेम लाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 06.10.2021 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ से निम्न चार बिन्दुओ की सूचना चाही थी:

1. अनूपगढ तहसील के अन्तर्गत विभिन्न चकों/ग्रामों में जोहड़–पायतन की भूमियां अवस्थित है, प्रमाणित ब्यौरा उपलब्ध करावें।
2. तहसील अनूपगढ़ के अधीन राजस्व पटवार हल्का 20 एलएम (लूणिया) में जोहड़ पायतन की भूमि का ब्यौरा मय चक का नाम, भूमि का मुरब्बा सं., पत्थर सं., किला सं. व भूमि का क्षेत्रफल की सूचना प्रमाणित रूप में उपलब्ध करावें।
3. बिंदु सं. (2) के संदर्भ में [illegible] जोहड–पायतन भूमि ग्राम 20 एलएम (लूणिया) [illegible] अतिक्रमण से मुक्त भूमि का पृथक पृथक ब्यौरा मय क्षेत्रफल की सत्यापित [illegible]नाएँ उपलब्ध करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:21:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

4. उपरोक्त बिन्दु संख्या (3) के संदर्भ में जोहड–पायतन भूमि चक 20एलएम (लूणिया) पर यदि कोई अतिक्रमण है तो अतिक्रमण व अतिक्रमणकारियों का ब्यौरा भी उपलब्ध करावें।

तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़ ने अपने पत्रांक सू.का.अ. /2021/920 दिनांक 15.09.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि अपीलार्थी श्री तरसेम लाल द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 212276803912055 दिनांक 02.07.2021 के संबंध में दिनांक 18.08.2021 को ऑनलाईन जवाब (क्रमांक 1316295617) दे दिया गया है। (संलग्न है) श्रीमान्जी उक्त आवेदन को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के तहत निरस्त किया गया है। चूंकि आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना, उस रूप में सइ कार्यालय द्वारा संधारित नहीं की जाती है। साथ ही आवेदक को किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर रिकॉर्ड का अवलोकन कर चाहा गया रिकॉर्ड प्राप्त करने हेतु लिखा गया है, परन्तु आज दिनांक 15.09.2021 तक आवेदक श्री तरसेम लाल द्वारा कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर रिकॉर्ड का अवलोकन नहीं किया गया है।
>
> अतः श्रीमान्जी से सादर नम्र निवेदन है कि उक्त अपील दफ्तर दाखिल करने का श्रम करावें।
>
> -sd-
> तहसीलदार(राजस्व)
> अनूपगढ़

तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़ ने उक्तानुसार अपील का जवाब प्रेषित किया है। सूचना का अधिकार [illegible] 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक [illegible] अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित [illegible] हो** और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो [illegible] सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लौक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:21:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इसलिए तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही है, जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जात है कि अपीलार्थी यदि उसके द्वारा वांछित सूचनाओं से सम्बन्धित कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करना चाहे तो उसे रिकॉड का अवलोकन करवा देवें और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार सूचना उपलब्ध करवा दी जावे।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:21:22 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर